न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी बने बिलासपुर हाईकोर्ट के स्थाई जज चीफ जस्टिस

चर्चा में क्यों?

31 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी को स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाई है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी की नियुक्ति 08 अक्तूबर 2021 को एडिशनल जज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में हुई थी।
- विधि एवं विधायी कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा 28 जुलाई, 2023 को न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी को स्थायी जज के रूप में नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी।
- ज्ञातव्य है कि न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी का जन्म 11 जनवरी, 1964 को जगदलपुर (छत्तीसगढ़) में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय राम कुमार तिवारी कीट विज्ञानी पद से सेवानिवृत्त हुए थे।
- इन्होंने रायपुर के दुर्गा कॉलेज से बी.कॉम किया, सौ. कुसुम ताई दाबके लॉ कॉलेज, रायपुर छत्तीसगढ़ से एलएलबी किया और एलएलएम छत्तीसगढ़ कॉलेज, रायपुर से किया।
- ये वर्ष 1987 में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से संवैधानिक कानून में एलएलएम करने वाले पहले छात्र थे।
- न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी ने 1990 में सिविल जज, क्लास-2 के रूप में न्यायिक करियर शुरू किया। पहली पोस्टिंग जगदलपुर में हुई। इसके बाद सारंगढ़ में पदस्थ हुए। जांजगीर में सिविल जज, वर्ग-1 के रूप में पदस्थ हुए और उसके बाद सीजेएम राजनांदगांव के रूप में पदस्थ हुए।
- न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी ने राजनांदगांव और बालोद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में सेवाएँ प्रदान कीं और बालोद जिले के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे।
- न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी ने छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में भी कार्य किया था।
- इन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अतिरिक्त रजिस्ट्रार (वर्गीकरण), रजिस्ट्रार (निरीक्षण और जाँच) और रजिस्ट्रार सतर्कता के रूप में भी कार्य किया है।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/justice-deepak-kumar-tiwari-became-permanent-judge-chief-justice-of-bilaspur-high-court